कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10335/2020 आयतुल्ला खान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 विषय उर्दू अनुसूचित क्षेत्र (टीसपी) में मेरिट क्रमांक–08 पर चयनोपरान्त इस कार्यालय के आदेश दिनांक 13.08.2020 द्वारा उसे पाली मण्डल आवंटित किया गया, जिसकी पालना में याचिकार्थी को राउमावि, ओर ब्लॉक–आबूरोड, जिला–सिरोही पदस्थापित किया गया है, जबकि उससे कम वरियता क्रमांक के अभ्यर्थियों को उदयपुर मण्डल आवंटित किया गया था। याचिकार्थी के कथनानुसार उसका मूल निवास स्थान बांसवाडा है एवं उसके द्वारा संभाग चयन के ऑनलाईन आवेदन में प्रथम वरियता पर उदयपुर संभाग चाहा गया था तथा वर्तमान में भी उदयपुर संभाग में द्वितीय श्रेणी विषय उर्दू के पद रिक्त है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पाली संभाग के राउमावि, ओर, जिला–सिरोही से उदयपुर संभाग के रा. नगर उमावि जिला–बांसवाडा के रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार "सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/विकलांग/भूतपूर्वसैनिक/विधवा/ परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें," के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय उर्दू में याचिकार्थी का आयोग द्वारा वरीयता क्रमांक 08 पर वर्ग एवं चयन वर्ग TGEM में चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थी को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार द्वितीय प्राथमिकता पर अंकित पाली मण्डल आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम प्राथमिकता पर अंकित मण्डल उदयपुर में याचिकार्थी के वर्ग एवं चयन वर्ग TGEM में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक 06 है, जबकि याचिकार्थी का वरीयता क्रमांक 08 है।

याचिकार्थिया द्वारा स्वयं से निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों को उदयपुर मण्डल आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वरीयता क्रमांक 09 के अभ्यर्थी का चयन वर्ग TGEF है तथा वरीयता क्रमांक 10 एवं 11 के अभ्यर्थियों का चयन वर्ग ISTM है, अतः वर्ग एवं चयन वर्ग TGEM में चयनित याचिकार्थी की तुलना चयन वर्ग TGEF एवं ISTM में चयनित अभ्यर्थी से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 विषय उर्दू में याचिकार्थी से सम्बन्धित वर्ग एवं चयन वर्ग TGEM में याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को उदयपुर मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर पाली मण्डल के स्थान पर उदयपुर मण्डल आवंटित कर बांसवाडा जिले मे पदस्थापित करने की मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा पाली मण्डल के स्थान पर उदयपुर मण्डल आवंटित कर बांसवाडा जिले में पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नही पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12892/2020 दिनांकः– 16/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर/पाली
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, सिरोही
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
6. याचिकार्थी आयतुल्ला खान पुत्र श्री अमानुल्ला खान, वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू), राउमावि, ओर, ब्लॉक–आबू रोड, जिला–सिरोही (रजिस्टर्ड)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)